न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक
(चिन्मयी गोपाल,आई0ए0एस0द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 31 / 2021
प्रविष्टि दिनांक 17.03.2021

हरिराम पुत्र सुरज्ञान जाति मीणा निवासी लसाडिया तहसील उनियारा जिला टोंक राज0

—अपीलाण्ट

बनाम

तहसीलदार उनियारा जिला—टोक —रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व निर्णय तहसीलदार उनियारा दिनांक 12.01.2021 मिसल नम्बर 69 / 2020

उपस्थिति : (1) श्री बाबूलाल गुन्सारिया,अभिभाषक अपीलान्ट
(2) श्री रामप्रसाद कुमावत, नायब तहसीलदार राजकीय पेरोकार

निर्णय

दिनांक 04.07.2022

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार उनियारा ने अपने निर्णय दिनांक 12.01.2021 के द्वारा अपीलान्ट को राजकीय भूमि खसरा नम्बर 158 रकबा 0.60 है0 किस्म गै0मु0नाडी वाके ग्राम लसाडिया तहसील उनियारा में राजकीय भूमि पर चने की फसल काश्त कर अतिक्रमण करने के कारण पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुए भूमि से बेदखल करने, 140 / रू. पेनल्टी कायम कर तीन माह के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है। अपीलान्ट ने तहसीलदार उनियारा के उक्त आदेश से व्यथित होकर आदेश को खिलाफ कानून बताते हुए निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एंव तलबी रेस्पोडेण्ट जरिए सम्मन की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्ट एंव राजकीय पेरोकार की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी नोटिस पर अपीलांट की प्रोपर तामिल नही हुई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को बिना सुने व बिना साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर प्रदान किये बिना ही निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करने से पूर्व मौके की वास्तविक रिपोर्ट नही मंगवाई गई है और ना ही स्वंय द्वारा मौका देखा गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश स्पीकिंग आदेश की परिभाषा मे नही आता है। अपीलांट भूमिहीन काश्तकार व गरीब व्यक्ति है,उक्त भूमि अपीलांट के पक्ष मे नियमन योग्य है,इस हेतु अपीलांट ने नियमन हेतु आवेदन भी सक्षम अधिकारी के समक्ष पेश कर रखा है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष कोई सक्षम साक्ष्य प्रदर्शित नही करवायी गई है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष भूमि से बेदखली बाबत कोई दस्तावेज या

Signature Not Verified
Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 16:27:39 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राज.) सत्यमेव जयते

जिला कलेक्टर
टोंक

निर्णय पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत कर प्रदर्शित नही करवाया गया है। पटवारी हल्का के साक्ष्य भी लेखबद्व नही करवाये गये है और ना ही पटवारी हल्का साक्ष्य हेतु उपस्थित हुआ है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

अपीलान्ट के अभिभाषक की बहस का जवाब देते हुए राजकीय पेरोकार ने कथन किया कि अपीलान्ट को विवादित भूमि खसरा नम्बर नम्बर 158 रकबा 0.60 है0 किस्म गै0मु0नाडी वाके ग्राम लसाडिया तहसील उनियारा में राजकीय भूमि पर पश्चातवर्ती अतिकमण कर चने की फसल काश्त करने पर तहसीलदार उनियारा द्वारा भूमि से बेदखल करने, पेनल्टी कायम कर तीन माह की सिविल कारावास की दजा से दण्डित किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को विधिवत नोटिस देकर सुनवाई का अवसर दिया है, जिस पर अपीलान्ट की विधिवत तामील हुई है।अपीलान्ट न्यायालय में उपस्थित नही हुये है। अपीलान्ट ने पूर्व में भी उक्त भूमि पर अतिकमण किया था, जो पटवारी रिपोर्ट से सिद्व है। अपीलान्ट भूमि पर से अपना कब्जा छोड़ना नहीं चाहता है ओर राजकीय भूमि पर बार–बार अतिकमण करने का आदी है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही एंव उचित है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट्स एंव राजकीय पेरोकार की बहस पर मनन किया एंव अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन करने से विदित होता है कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस देकर सुनवाई का अवसर दिया गया है। नोटिस पर अपीलाण्ट की और से दिलराज की तामील हुई है। अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नही हुये है। अपीलान्ट द्वारा भूमि खसरा नम्बर नम्बर 158 रकबा 0.60 है0 किस्म गै0मु0 नाडी वाके ग्राम लसाडिया तहसील उनियारा पर पश्चातवर्ती अतिकमण कर चने की फसल काश्त कर अतिकमण किया है,जो पटवारी हल्का की रिपोर्ट से सिद्व है। पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर पश्चातवर्ती का नोट अंकित है,जिससे जाहिर होता है कि अपीलान्ट ने पूर्व में भी उक्त भूमि पर अतिकमण किया था। अपीलान्ट भूमि पर से अपना कब्जा छोड़ना नहीं चाहते है ओर राजकीय भूमि पर बार–बार अतिकमण करने के आदी है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मे हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

फलतः अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार उनियारा का निर्णय दिनांक 12.01.2021 यथावत रखा जाता है। प्रार्थना पत्र स्थगन खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 04.07.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

चिन्मयी

(चिन्मयी गोपाल)

जिला कलेक्टर टोंक

जिला कलेक्टर टोंक

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान) सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 16:27:39 IST
Reason: SelfAttested